माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

R-3358-II/12

निगरानी क्र0

श्री .... द्वारा आज दि. 1-10-12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-10-12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सिपाई पुत्र जयसिंह आयु 50 वर्ष
निवासी - फुलीपुरा तहसील- पोहरी
जिला- शिवपुरी म0प्र0

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा राजस्व सचिव वल्लब भवन भोपाल म0प्र0
2. उपखण्डीय पदाधिकारी महोदय पोहरी जिला- शिवपुरी म0प्र0

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.12 प्रकरण क्र0 21/11-12 682

माननीय महोदय प्रार्थी की निगरानी निम्न है ।

1. प्रार्थी ग्राम फुलीपुरा तहसील पोहरी जिला- शिवपुरी का निवासी है और उसके पास में कोई रहने के लिए मकान नहीं है इसलिए उसने जैसा कि पटवारी की रिपोर्ट से प्रतीत होता है सरकारी भूमि पर मकान बना लिया है इस पर से पटवारी ने तहसीलदार को अतिक्रमण की रिपोर्ट की उस पर से तहसीलदार ने 31,750/- रूपये जुर्माना कर दिया जिस को प्रार्थी अपनी गरीबी के कारण अदा नहीं कर पाया उस पर से तहसीलदार महोदय ने माननीय उपखण्डीय पदाधिकारी पोहरी जिला- शिवपुरी ने धारा 248(2) राजस्व संहिता के अतंर्गत रिपोर्ट की ओर उस पर प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हो सका । उसके पश्चात उसने अपने अभिभाषक को जबााव देने के लिए अधिकृत किया ।
2. इस पर से माननीय उपखण्डीय पदाधिकारी ने एक नोटिस दिया कि क्यों न उसको दीवानी जेल में भेज दिया जाये उस पर से उसके अधिवक्ता द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया और उसमें कहा गया कि वह जेल नहीं भेजा जावे क्योंकि भूमि का पटटा नये कानुन म0प्र0 ग्रामों में कि दखलरहित भूमि (विशेष उपबंद) जो म0प्र0 राजपत्र में एक्ट नं0 26 सन 1970 में दिनांक 24.10.1970 को प्रकाशित हुआ और उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि जो भूमिहीन व्यक्ति है और उसके पास मकान नहीं है जो उसी ग्राम में कृषि कार्य से जुड़े हुआ है उसके पक्ष में पटटा होना चाहिए था नकल कानुन प्रस्तुत है ।
3. माननीय सरपंच महोदय ने भी एक प्रमाण-पत्र दिया कि उसके पास खुद का मकान नहीं है इसलिए उसे रहने का बड़ा संकट है प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।
4. यह कि, और उसने तमाम उच्च न्यायलय और माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयों का हवाला दिया गया जिसमें यह निर्णीत किया गया कि पटवारी का प्रतिवेदन साक्ष्य नहीं है ।
5. माननीय उच्च न्यायालय ने भी महेन्द्र कुमार विरूद्ध म0प्र0 राज्य जो म0प्र0 रेवेन्यू निर्णय 1993 पृष्ठ 253 में निर्णीत किया गया है कि कथित आक्रमणकारी को साक्ष्य प्रस्तुत किया

R 3358 | II | 12 (बेदखली)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.7.16	आवेदक अधि० श्री प्रदीप के अधिवक्ता अनुपस्थित। अनावेदक की ओर से [illegible] [illegible] आदेश उपरोक्त प्रकरण में आवेदक के [illegible] [illegible] [illegible] गई परन्तु कोई उप० नहीं। अत: प्रकरण अदम पैरवी में [illegible] किया जाता है। प्रकरण रिकॉर्ड दाखिल हो। [signature]	